"हर काम देश के नाम"
रक्षा लेखा महानियंत्रक
उलान बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी – 110010
Admin-VIII - अनुभाग
दूरभाष- 011-25675480, 25665708, फैक्स- 011-25674806,
मेल- hqadmin8.dad@hub.nic.in

Sub: Revised Recruitment Rules (RRs) of various posts in respect of Defence Accounts Department

In terms of CVC letter No. 6/1/2013/JS (LAW)/CIC-VI/2022/534 dated 04/01/2023, the Recruitment Rules in respect of the following posts are disclosed under Suo-Moto package for information of all concerned.

Sl. No.	RRs of the Post	S.R.O. No. & date
1.	Assistant Director(Official Language)	S.R.O.-13 dated 23.03.2021
2.	Senior Accounts Officer	S.R.O. -55 dated 01.09.2022
3.	Senior Translation Officer	S.R.O. -12 dated 16.03.2021
4.	Junior Translation Officer	S.R.O.-7 dated 09.03.2021
5.	Stenographer Grade-II	S.R.O.-33 dated 11.05.2022

(Devendra Mohan)
SAO (AN-VIII)

Encl: As above

No. AN/VIII/8201/2/RR/Misc. dated 17 .03.2023.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03042021-226357
CG-DL-W-03042021-226357

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07] नई दिल्ली, मार्च 21— मार्च 27, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 30, 1942— चैत्र 6, 1943

No. 07] NEW DELHI, MARCH 21— MARCH 27, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 30, 1942— CHAITRA 6, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.नि.आ. 13 .—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा विभाग, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—

पूर्वोक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.— कोई व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	37*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (रु. 56100 - 177500)	चयन	अधिकतम 35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिलीकरण) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। **अनुभव :** (i) शब्दावली को हिंदी में प्रयोग अथवा उसे लागू करने का तीन वर्ष का अनुभव (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद कार्य, अधिमान्यतः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद। अथवा (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त	लागू नहीं होता	एक वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान। **टिप्पण 1:** अन्य प्रकार से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के अतिरिक्त कोई एक भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा के स्तर पर अध्ययन किया हो।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे वरिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44900-142400) में इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और निर्धारित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हो। **टिप्पण 1 :** जहाँ अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों को प्रोन्नति किए जाने पर विचार किया जा रहा हो, उन मामलों में उनके ज्येष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति उनकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के (रु.	**प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; (2) रक्षा लेखा महानियंत्रक – सदस्य; (3) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) – सदस्य (4) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक अथवा प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियाँ) अथवा रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा नियंत्रक (निर्माणियाँ) अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए, विभागीय पुष्टि समिति: (1) रक्षा लेखा महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक – अध्यक्ष; (2) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) – सदस्य (3) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

44900-142400) पद पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; तथा (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	नियंत्रक (निर्माणियाँ) अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य।	

[फा. सं. 9(12)/C/2021]

आर.के.कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.R.O. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence , Defence Accounts Department, Assistant Director (Official Language).Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language).	37* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Selection	Not exceeding thirty five years of age (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman Nicobar Island and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: (i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;	Not applicable	One year	Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) and fifty percent by deputation (including short

or (ii) master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) master's degree of recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iv) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or (v) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. **Experience:** (i) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organizations or public sector undertakings or Universities or recognised research or education institutions. OR (ii) Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organizations or public sector undertakings or Universities or recognised research or education institutions. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of, the Union Public Service Commission is of the opinion that			term contract) failing which by direct recruitment.

sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable:** Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th Schedule of the Constitution at 10th level from a recognised Board.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Translators in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks as prescribed. **Note1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officer from the Central Government or State Governments or autonomous Body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institution. : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400); and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	**Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :-** (1)Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; (2)Controller General of Defence Accounts- Member; (3)Additional Financial Adviser or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance Division) - Member; (4)Principal Controller of Defence Accounts or Principal Controller of Accounts (Factories)or Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller of Finance & Accounts (Factories) or Integrated Financial Adviser - Member. **Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of :-** (1)Controller General of Defence Accounts or Additional Controller General of Defence Accounts - Chairman; (2)Additional Financial Adviser or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance Division) - Member; (3)Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller of Finance and Accounts (Factories) or Integrated Financial Adviser - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty -six years as on the last date of receipt of applications		

[F. No. 9(12)/C/2021]

R.K.KARNA, Addl. Financial Adviser & Joint Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

का.नि.आ. 14 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना समूह 'ग' (उच्च श्रेणी लिपिक) और निम्न श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक पद) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .**– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है ,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17092022-238906
CG-DL-W-17092022-238906

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, सितम्बर 4— सितम्बर 10, 2022, शनिवार/भाद्र 13— भाद्र 19, 1944
No. 21] NEW DELHI, SEPTEMBER 4— SEPTEMBER 10, 2022, SATURDAY/BHADRA 13–BHADRA 19, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

का.नि.आ. 55.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2008 का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ उपाबन्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:-** उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं:-** कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
ज्येष्ठ लेखा अधिकारी (2022)	2108* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण** : लेखा अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाअधिकारी का संयुक्त संख्याबल 2108 है । संयुक्त संख्याबल का 80 % ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के स्तर पर संचालित किया जाना है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (Rs 56100- 177500)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति के द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन स्तर -9 (रु. 53100-167800) में लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहाँ अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों को प्रोन्नति किए जाने पर विचार किया जा रहा हो, उन मामलों में उनके ज्येष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति उनकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा महानियंत्रक – सदस्य (3) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) – सदस्य (4) रक्षा लेखा संयुक्त वरिष्ठ महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक अथवा प्रधान लेखा नियंत्रक (कारखाना) अथवा प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार अथवा रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा नियंत्रक (कारखाना) अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य **विभागीय पुष्टिकरण समिति:** (1) रक्षा लेखा महानियंत्रक – अध्यक्ष (2) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार,	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	रक्षा मंत्रालय (वित्त) – सदस्य (3) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा नियंत्रक (कारखाना) अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य।	

[फा. सं. 9(2)/डी.ए.डी./c/2022]

वेदवीर आर्य, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तिय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 1st September, 2022

S.R.O. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department namely:-

1. **Short title and commencement:** - (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix:** -The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualification etc.:** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (12) of the said Schedule.

4. **Disqualifications:** - No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-serviceman and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification
(1)	(2)	(3)
Senior Accounts Officer (2022)	2108* *Subject to variation dependent on workload **Note:** Combined strength of Accounts Officer & Senior Accounts Officer is 2108. 80% of the combined strength is to be operated at the level of Senior Accounts Officer.	General Central Services, (Group 'A') Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Level-10 in the pay matrix (Rs 56100-177500)	Selection	Not Applicable

Educational & other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation\ absorption, grades from which promotion or deputation \ absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
PROMOTION:- Accounts Officer in the level -9 in the pay matrix (Rs 53100-167800) with two years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	**Departmental Promotion Committee for considering the promotion consisting of :-** (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman (2) Controller General of Defence Accounts - Member (3) Additional Financial Advisor or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance) -Member (4) Sr. Joint Controller General of Defence Accounts or Principle Controller of Defence Accounts or Principal Controller of Accounts (Factories) or Principal Integrated Financial Adviser or Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller of Finance & Accounts or Integrated Financial Adviser – Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of :-** (1) Controller General of Defence Accounts - Chairman (2) Additional Financial Adviser or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance) - Member (3) Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Finance and Accounts (Factories) or Controller of Defence Accounts or Integrated Financial Advisor - Member	

[F. No. 9(2)DAD/c/2022]

VEDVEER ARYA, Jt. Secy. & Addl. FA (R&D)

रक्षा उत्पादन विभाग

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

का.नि.आ. 56.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम,1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में आयुध वस्त्र निर्माणी, आवड़ी, चेन्नई को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है,अधिसूचित करती है:-

आयुध वस्त्र निर्माणी
आवड़ी, चेन्नई,
तमिलनाडु-600054

[फा. सं. 5(2)/2022-रक्षा (रा.भा.-2)]

अनुराग बाजपेई, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION

New Delhi, the 5th September, 2022

S.R.O. 56.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules,1976, the Central Government hereby notifies the following Ordnance Clothing Factory, Avadi, Chennai more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Ordnance Clothing Factory
Avadi, Chennai
Tamilnadu- 600054

[F. No. 5 (2) /2022-D (OL-2)]

ANURAG BAJPAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.17 12:18:51 +05'30'

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 15814/Jr Translator /IDS/Pers/06/RR/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

का.नि.आ. 12.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 को जहां तक उनका ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है , रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और कोई अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी	35*(2021) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35400 - 112400 रु.) में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की है और जिसने विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पदों के कार्यों से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पणी 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो (कम न हो) और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता

			सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400 - 112400 रु.) में नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर पांच वर्ष की सेवा; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:- **शैक्षिक अर्हताएं :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का

				माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। **अनुभव :** भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक - अध्यक्ष ; (2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक - सदस्य ; (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक - सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 9(11)/C/2021]

आर.के.कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 16th March, 2021

S.R.O. 12 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as it relates to the post of Senior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translation Officer in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Senior Translation Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Translation Officer.	35*(2021) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group `B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation	**Promotion:** From amongst Junior Translation officer in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years' service in the grade rendered after

				appointment thereto on regular basis and having successfully completed two weeks training in discharge of duty associated with higher post imparted at various Regional Training Centers functioning under the department. **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers from the Central Government or State Government or Union territories : **(a) (i)** holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or **(ii)** having five years service as Junior Translation Officer on regular basis in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) in the parent cadre or department; and **(b)** possessing the following educational qualifications and experience :- **Educational Qualifications :** **(i)** Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or **(ii)** Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or **(iii)** Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or **(iv)** Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or **(v)** Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. Experience: Two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office,

				including Government of India undertaking. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty –six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group `B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts - Chairman ; (2) Deputy Controller of Defence Accounts - Member; (3) Assistant Controller of Defence Accounts - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 9(11)/C/2021]

R.K.KARNA, Addl. Financial Adviser & Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

वित्त प्रभाग

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.नि.आ. 7 .—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 का, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने को लिए लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पदो पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-**

   उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:-**

   पूर्वोक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं:-** कोई व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

   उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-**

   जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-**

   इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	70*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर – 6 (रु. 35400 - 112400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।) **टिप्पणी :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (I) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री:	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<u>**सीधी भर्ती**</u> **टिप्पणी:** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी अस्वस्थता या अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता है; और (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

या (घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या (च) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; और हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए गए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार ; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या उपलब्ध करने की संभावना है।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :** (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/ रक्षा लेखा नियंत्रक/ रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक - अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक - सदस्य (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 9(10)/C/2020]

आर. के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 9th March, 2021

S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Junior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:

1. **Short title and commencement.**—

(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Junior Translation Officer (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in pay matrix.** —

The number of the said post, its classification and the Level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.**—

The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translation Officer	70* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6, (Rs.35400-112400)	Not applicable.	Not Exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland ,Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (A) Master's degree of a recognised University in hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR (B) Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR	Not applicable	Two years	Direct recruitment **Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government;-** (a)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and (b) Possessing the qualifications

(C)Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level. OR (D)Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR (E) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level. AND Recognized Diploma or certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in central or state Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group `B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts - Chairman (2) Deputy Controller of Defence Accounts - Member (3) Assistant Controller of Defence Accounts -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary. ,

[F. No. 9(10)/C/2020]

R. K. KARNA, Addl. Financial Adviser & Jt. Secy.

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.नि.आ. 8.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (मुख्य फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग में मुख्य फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, मुख्य फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21052022-235920
CG-DL-W-21052022-235920

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मई 15— मई 21, 2022, शनिवार/ वैशाख 25— वैशाख 31, 1944
No. 12] NEW DELHI, MAY 15—MAY 21, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 25–VAISAKHA 31, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) संशोधन भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची के स्तम्भ 2 में

"105* (2011) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।" अंकों, कोष्ठको और शब्दों के

स्थान पर-

"170* (2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(1)/DAD/C/2022]

वेदवीर आर्या, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 33 तारीख 6 मई, 2011 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात का.नि.आ. सं. 30, तारीख 19 मई, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 11th May, 2022

S.R.O. 33.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2011, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Defence Accounts Department; (Stenographer Grade-II) Amendment Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Defence Accounts Department, (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2011 in the Schedule; column 2 for the figures, brackets and words

"105* (2011) Subject to variation dependent on workload",

the figures, brackets and words shall be substituted.

"170*(2022) Subject to variation dependent on workload"

[F. No.9(1)/DAD/C/2022]

VEDVEER ARYA, Jt. Secy. and Addl. Financial Advisor

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 33, dated the 6th May ,2011 and subsequently amended vide S.R.O. 30, dated the 19th May, 2018.